न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रा0पत्र संख्याः— 24/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा जाति मेवाड़ा (कलाल) निवासी बेरा कलालो का पीपलियां, बगड़ी नगर तह0 सोजत. जिला पाली हाल निवासी— 2/1754 कुड़ी भगतासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक —27/05/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय पटवार हल्का बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी की खातेदारी भूमि आयी हुई स्थित है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

सम्पति "ए" खाता सं0 534 के खसरा नंबर 4885/1, 5022/1, 5022/2, 5034/1, 5034/2, 5034/4 कुल खसरा 06 कुल रकबा 26.7700 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 3193/80064 हक हिस्सा निहित हैं।

सम्पति "बी" खाता सं0 535 खसरा नंबर 5025 रकबा 0.0100 है0

सम्पति "सी" खाता सं0 536 खसरा नंबर 4937, 4938, 4939, 4941/1, 4941/1 कुल खसरा 05 कुल रकबा 3.3200 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 31/576 हक हिस्सा निहित हैं।

सम्पति "डी" खाता सं0 537 खसरा नंबर 5023/1, 5023/4, 5027/1, 5028/1, 5028/3 कुल खसरा 05 कुल रकबा 9.1800 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार 31/576 हक हिस्सा निहित हैं। उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है, जो प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस कृषि भुमि का उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर गोरधनलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

हिमताराम दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी अपने व्यवसायिक कार्य से जोधपुर में निवासरत होने से राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में उक्त संशोधन हेतु पूर्व में कार्यवाही नहीं कर सका। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा है। इसलिये राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज गोरधनलाल पुत्र हिमताराम दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा ही है तथा प्रार्थी को गावं परिवार समाज में गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं आधार कार्ड, पेन कार्ड के साथ व अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा ही दर्ज है। प्रार्थी के उक्त संशोधन कराने से किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भुमि ए, बी, सी डी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोरधनलाल पुत्र हिमताराम के स्थान पर गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 04 से 05 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका एवं राजस्व रेकर्ड की जांच हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2025/576 दिनांक 06.05. 2025 के जरिये निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गोरधनलाल पुत्र हिमताराम दर्ज है, लेकिन मौका जांच व रेकर्ड जांच से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थी का नाम गोरधनलाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मताराम है, जो सही व सत्य हैं, की रिपोर्ट पेश की। सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गोरधनलाल पुत्र हिमताराम के स्थान पर गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित किये जाने

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गोरधनलाल पुत्र हिमताराम दर्ज है, लेकिन मौका जांच व रेकर्ड जांच से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थी का नाम गोरधनलाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मताराम है, जो सही व सत्य है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जैसे पैन सं0 ARVPM3732B, आधार सं0 6609 8976 3486 तथा जन आधारा कार्ड सं0 5014557046 में प्रार्थी का नाम गोरधन लाल मेवाड़ा दर्ज हैं। जिससे प्रार्थी के वास्तविक व दस्तावेजी नाम गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थित भूमि में दर्ज गोरधनलाल पुत्र हिमताराम के स्थान पर गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गांव बगड़ी चक द्वितीय तह0 सोजत की उपरोक्त वर्णित सम्पति ए, बी, सी, डी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज गोरधनलाल पुत्र हिमताराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम गोरधन लाल मेवाड़ा पुत्र हिम्मता राम मेवाड़ा दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 27/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)